निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1935 (शo)

(सं0 पटना 288) पटना, बुधवार, 12 मार्च 2014

विधि विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी 2014

एस0ओ0 204, दिनांक 12 मार्च 2014—जिला पदाधिकारी, **औरंगाबाद** के पत्रांक-**335/मु0विधि,** दिनांक **08.10.2013** के अनुसरण में **औरंगाबाद** जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप **औरंगाबाद** जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण), अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने **श्री गणेशी राम, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-3321/70 है, को जिनका निर्धारित कालावधि जनवरी, 2013 को समाप्त हो चुका था तथा उसके बाद भी वह कार्यरत थे, उनके द्वारा किये गये कार्यों को विनियमित करते हुए, नियुक्ति** की तिथि से अगले तीन वर्षो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वत: समाप्त समझी जायेगी।

3. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु उन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।

4. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक माह विषयांकित वादों (निष्पादीत व लम्बित) से सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालन में **प्रत्येक वर्ष जनवरी माह तथा जुलाई माह** में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित अधिनियम से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(सं0सं0 सी0/ए0एस0-3-28/2007-1530/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्जवल कुमार दुबे

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 288-571+25-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in